

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:—कार्यालय आदेश—:

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के कार्मिक जो कि कॉलम संख्या 04 में वर्णित दिनांक से आदेशों की प्रतीक्षा में इस कार्यालय में उपस्थिति दे रहे हैं को तत्काल प्रभाव से कॉलम संख्या 07 में अंकित विद्यालय में व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक (पद)	विषय	निदेशालय में कार्यग्रहण तिथि	एपीओ से पूर्व पदस्थापन स्थान	एपीओ का कारण	कहाँ को
1	2	3	4	5	6	7
1	सतीश कुमार सुथार	राजनीति विज्ञान	30.08.2022	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	निलम्बन बहाली पश्चात एपीओ	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANARI (213853) SIROHI
2.	अमृतपाल सिंह	राजनीति विज्ञान	22.08.2022	राउमावि तांखरावाली, श्रीगंगानगर	प्रशासनिक कारणों से एपीओ किया गया	GOVT. SECONDARY SCHOOL 10 EEA (212035) GANGANAGAR

इन्हें आदेश जारी होने की दिनांक को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर दें।

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर दर्ज करावें एवं इस कार्यालय को प्रति प्रेषित करावें।



(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 30 / 09 / 2022

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/एपीओ/2022

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक की कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करावें। उक्त कार्मिक द्वारा एपीओ अवधि में ~~संबंधित~~ आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया गया है।
10. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
11. संबंधित अधिकारी
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान